

रिपोर्ट में दिनांक 12-12-17 को पेश हो

12-12-17

आज बार संघ ने कार्य नहीं करने का निर्णय लिया है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18-1-18 को पेश हो।

18-1-18

पीठासीन अधिकारी राजस्थान बार में उपस्थित हैं। आज बार संघ ने कार्य नहीं करने का निर्णय लिया है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 06-3-18 को पेश हो।

06-3-18

वकील पार्थी उषा उषा उषा ले पालका रिपोर्ट  
पुनः गयी हुई है अतः उषा उषा रिपोर्ट में  
दिनांक 01-5-18 को पेश हो।

01-5-18

पीठासीन अधिकारी राजस्थान बार में उपस्थित हैं।  
पत्रावली समाप्त तक के केस में दिनांक 14-5-18  
को पेश हो।

14-5-18

वकील उभय पक्ष उपस्थित। पीठासीन  
अधिकारी राजस्थान बार में उपस्थित हैं। पत्रावली  
पूर्वानुसार दिनांक 06-6-18 को पेश हो।

पत्रावली समाप्त

6-6-18 वकील पार्थी उपस्थित वकील पार्थी  
द्वारा कथन किया की निर्णय की पालना  
हो चुकी है अतः पत्रावली पर Note-  
press का अंकन किया अतः पत्रावली  
वर्तमान स्तर पर रखा जा रही है  
पत्रावली जम्बर से कट कर जाकर  
बाद वकील शिखर रक्षित हो।

अशोक  
(अशोक अड्डा)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्थान)  
शीर्षगावण

नृतक  
विमला देवी  
पूर्ण राम पुत्र  
ओम प्रकाश  
राजकुमार  
कमला पुत्री  
दार जिसके  
वाद का स  
पक्षकारों के  
डिक्री की  
क्या डिक्री  
की गई है  
यदि क  
संमायोज  
तो क  
समायोज